रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 182] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 1975/भाद्र 28, 1897

No. 182] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 1975/BHADRA 28, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

CENTRAL GOVT. LIBRARY INDIA

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 19th September 1975

SUBJECT.—*Emergency Relief Credit of Rs. 100 million extended by the Government of India to the Government of Bangladesh.*

No. 36-ETC(PN)/75.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 42-ETC(PN)/74, dated the 6th December, 1974, announcing the Government's decision to allow the export of salt, pig iron and cement under the above mentioned Emergency Relief Credit from India to Bangladesh. It has now been decided to allow the export of bitumen also under the Emergency Relief Credit to Bangladesh and this item may be deemed to have been added at the appropriate places in paras 1 and 2 of the aforesaid Public Notice. Export of the above item will also be made by Public Sector Organizations.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1975

विषय.—भारत सरकार द्वारा, बांगला देश सरकार के लिए बढ़ाए गए 10 करोड़ रुपये का आपात सहायता क्रेडिट ।

सं० 36-ई० टी० सी० (पी० एन०)/75.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 42 ई० टी० सी० (पी एन)/74 दिनांक 6 दिसम्बर, 1974 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें भारत से बांगला देश को उक्त आपात सहायता क्रेडिट के अन्तर्गत नमक, कच्चा लोहा और सिमेंट का निर्यात करने के लिए सरकार की अनुमति का निर्णय घोषित किया गया था । अब बिटूमन को भी आपात सहायता क्रेडिट के अन्तर्गत बांगलादेश को निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है और यह मद् उक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका 1 और 2 में उपयुक्त स्थान पर जोड़ दी गई समझी जाए । उक्त मद का निर्यात सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा भी किया जायेगा ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975